



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



सीबीएसई/डीआईआर./प्रशिक्षण/2020

29.06.2020

अधिसूचना

विषय: ऑनलाइन सत्रों के लिए शुल्क संरचना।

अधिसूचना परिपत्र सं. 31 दिनांक 05 मई 2020 के अनुक्रम में, यह अधिसूचित किया जाता है कि बोर्ड ने 01 जुलाई, 2020 से एक घंटे के ऑनलाइन सत्र के लिए प्रति सत्र 100/- रु. का प्रतिभागिता शुल्क निर्धारित किया है।

इसे बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जरी किया गया है।

(डा. विश्वजीत साहा)

निदेशक (प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा)



'शिक्षा सदन', 17, राऊज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002

'ShikshaSadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



प्रतिलिपि नीचे निर्दिष्ट -: किये गये संबंधित निदेशालयों, संगठनों और संस्थाओं के प्रमुखों को उनके अधिकार-क्षेत्र के सभी संबंधित विद्यालयों को सूचना का प्रसार करने के अनुरोध के साथ प्रेषित-

01. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18, इंस्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110016
02. आयुक्त नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नोएडा - 201309
03. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054
04. निदेशक जन अनुदेशन (विद्यालय) संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर-9, चण्डीगढ़-160017
05. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक सिक्किम-737101
06. विद्यालय शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर - 791111
07. शिक्षा निदेशक, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर -744101
08. निदेशक, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ईएसएसईएसएस प्लाज़ा, समुदाय केंद्र, रोहिणी
09. अपर सेना शिक्षा महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
10. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (सेना), एफडीआरसी भवन सं. 202, शंकर विहार (एपीएस के समीप), दिल्ली कैंट-110010
11. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी, इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अनुपालन के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को प्रेषित किया जाए।
12. बोर्ड के सीओई के सभी निदेशक/प्रमुख/प्रभारी, इस अनुरोध के साथ कि वे सूचना का प्रचार-प्रसार करें।
13. सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव, सीबीएसई
14. प्रभारी आईटी एकक, इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीबीएसई की शैक्षणिक वेबसाइट पर रखा जाए।
15. जनसंपर्क अधिकारी, सीबीएसई
16. अध्यक्ष, सीबीएसई के निजी सचिव
17. सचिव, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
18. परीक्षा नियंत्रक, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
19. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
20. निदेशक (सीटीईटी) के वरिष्ठ निजी सचिव
21. निदेशक (एडुसेट) के वरिष्ठ निजी सचिव
22. निदेशक (शैक्षणिक), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
23. निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
24. निदेशक (कौशल शिक्षा), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव

निदेशक (प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा)



'शिक्षा सदन', 17, राऊज एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002

'ShikshaSadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002

